राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश कमांक प.17(24)त.शि./2001 दिनांक 17.12.2005 के आधार पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत दिशा निर्देश के आधार पर ब्रांच परिवर्तन के नियम के अंश निम्नानुसार है।

3. **ब्रांच स्थानान्तरण**

(क) जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

(ख) तृतीय सेमेस्टर के प्रारम्भ में एक ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उसी संस्थान (राजकीय एवं निजी) में उपलब्ध शाखा में अन्तर ब्रांच स्थानान्तरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के परिक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् किये जावेंगे। ये ब्रांच स्थानान्तरण निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित होने पर ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(ग) ब्रांच स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची, अभ्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर आधारित होगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं ब्रांच के स्थानांतरण हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परिक्षा में सभी विषय उर्त्तीण किये हो। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(घ) उक्त ब्रांच स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही सम्भव होगें:–

(1) वांछित ब्रांच जिसमें से स्थानान्तरण चाहा है, उस संस्थान में उस ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से रिक्त रहे स्थानों पर स्थानान्तरण संभव होगी।

(2) जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है, उसमें स्थानान्तरण पूर्व अथवा बाद में विद्यार्थी की संख्या स्वीकृत प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होने पर, स्थानान्तरण सम्भव होंगें।

(ड) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन–इन्जिनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यकमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यकमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भिन्न होने के कारण ब्रांच परिवर्तन नहीं होंगे।

(च) यदि किन्ही दो विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष के अंक, आरक्षण श्रेणी भी समान हो तो ऐसी विशेष परिस्थिति में प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के समस्त अंकों के योग के आधार पर मैरिट का निर्धारण कर शाखा परिवर्तन किया जावेगा। सैद्धान्तिक परिक्षा के समान अंक होने पर प्रायोगिक के अंकों के योग को देखा जायेगा। प्रायोगिक अंक भी समान होने पर सैशनल अंकों के योग के आधार पर निर्णय किया जायेगा। उक्त समस्त तीनों अंक भी समान होने की स्थिति में विद्यार्थियों के 10$^{वीं}$ के कुल अंकों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 11(5)त.शि./2002 पार्ट जयपुर दिनांक 07.12.2016 के अनुसार नवीन बिन्दु (च) जोडा गया।)